न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राज0)

(बईजिलास सुरेश कुमार ओला I.A.S.)

प्रकरण संख्या 04/2020 दायर दिनांक 18.06.2020

फैसल दिनांक 04.08.2021

श्री सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, डूंगरपुर जिला डूंगरपुर

प्रार्थी

बनाम

1. श्री लविश जैन पिता अनिल कुमार जैन निवासी जैन मोहल्ला पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर
2. श्री अनिल कुमार जैन निवासी जैन मोहल्ला पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर

विपक्षी

उपस्थिति

1. विभागीय पेरोकार – प्रार्थी
2. श्री लक्ष्मीलाल जैन एडवोकेट – विपक्षी

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, डूंगरपुर की ओर से विरूद्ध विपक्षीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षीगण द्वारा विभिन्न कम्पनियों के कुल 90 गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से भण्डारण किये जाने से जप्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की **धारा–6ए (i) (ii)** के तहत उक्त गैस सिलेण्डरों को राजसात करने हेतु पेश किया है।

प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पुलिस विभाग द्वारा दिनांक 13.06.2020 को ग्राम पीठ में घरेलू गैस के सिलेण्डर भण्डारित करने की सूचना दी गई। पुलिस विभाग की सूचना पर जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर के मौखिक निर्देश पर प्रार्थी एवं प्रवर्तन निरीक्षक श्री पुष्पेन्द्र सिंह ग्राम पीठ में विपक्षी संख्या–1 के यहां मोतबिरान के रूवरू जांच की गई। वक्त जांच विपक्षी संख्या–1 के आवास की मोतबिरान के रूबरू तलाशी ली गई। वक्त जांच एच.पी तेल कम्पनी के 2 गैस सिलेण्डर इण्डेन के 10, भारत पेट्रोलियम के 11 एवं रिलायंस के 46, देवरसा के 18 बिना ब्राण्ड के 3 गैस सिलेण्डर कुल 90 नॉन एवं डोमेस्टिक सिलेण्डर्स का संग्रहण भण्डारण पाया गया। 90 गैस सिलेण्डरों मौके पर अवनि इण्डेन गैस सर्विस सीमलवाडा के मेनेजर की उपस्थिति में वजन करने पर 85.3 किग्रा. ए.पी जी गैस पाई गई। उक्त 90 गैस सिलेण्डरों के भण्डारण के सन्दर्भ में विपक्षीगण से पुछताछ करने पर कोई सन्तोष जनक जवाब अथवा सक्षम अनुज्ञा–पत्र एवं विस्फोटक विभाग की अनुमति प्रदान करने में असमर्थ रहे। मौके पर रिलायंस कम्पनी का एक पत्र प्रस्तुत किया जिसकी वैद्यता वर्ष 2011 तक की पाई गई। विपक्षी द्वारा बिना किसी प्राधिकार पत्र एवं सक्षम अनुमति के बिना 90 नॉन एवं डोमेस्टिक गैस सिलेण्डरों का अवैद्य भण्डारण करने सेएल.पी.जी. गैस कन्ट्रोल ऑर्डर 2000 के क्लॉज 3, 4, 7 की अवहेलना करने तथा आर. पी. पी. एल ऑर्डर 1990 के तहत बिना अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से उक्त गैस सिलेण्डरों का भण्डरारण करने से जप्त सरकार कर श्री हेमन्त साव मेनेजर अवनि गैस सर्विस सिमलवाडा को सुर्पुद किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की **धारा–6ए (i) (ii)** के तहत राजसात करने का अनुरोध किया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2021.08.16 15:26:00 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण की ओर से वकालतनामा पेश हुआ एवं उनकी और से जवाब पेश किया गया जो शामील पत्रावली किया गया।

प्रकरण में विभागीय पेरोकार एवं विपक्षीगण के विद्वान अभिभाषक की बहस समायत की गई। विभागीय पेरोकार द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुनरावृति की गई एवं वकील विपक्षी जबाब के तथ्यों को दोहराया।

प्रार्थी विभागीय पेरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि पुलिस विभाग द्वारा ग्राम पीठ में घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण करने की सूचना जिला रसद कार्यालय डूंगरपु को दी गई। उक्त सूचना पर दिनांक 13.06.2020 को प्रार्थी एवं श्री पुष्पेन्द्र सिंह प्रवर्तन निरीक्षक विपक्षी संख्या–2 के मकान की मोतबिरान के रूबरू निरीक्षण किया गया। विपक्षी संख्या–2 के मकान में एच.पी के 2, इण्डेन के 10, भारत पेट्रोलियम के 11, रिलायंस के 46, देवरसा के 18 एवं बिना ब्राण्ड के 3 कुल 90 नॉन एवं डोमेस्टिक गैस सिलेण्डर मौके पर भण्डारण करना पाया गया। उक्त अवैद्य भण्डारित गैस सिलेण्डरो की अवनि गैस सर्विस सिमलवाडा के मेनेजर श्री हेमन्त साहू की उपस्थिति में वजन कराया जाने पर 85.3 किग्रा एल.पी.जी गैस का संगहण करना पाया गया। विपक्षीगण द्वारा उक्त रिहायसी मकान में 90 नॉन एवं डोमेस्टिक गैस सिलण्डर मय 85.3 किग्रा. एल.पी.जी गैस के भण्डराण के सन्दर्भ में विधि मान्य दस्तावेज एवं विस्फोटक विभाग की अनुमति प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। विभागीय पेरोकार ने बहस में बताया कि रिहायसी मकान में बिना सक्षम अनुमति के अवैद्य रूप में उक्त 90 गैस सिलेण्डर मय 85.3 किग्रा. एल.पी.जी कन्ट्रोल ऑर्डर 2000 क्लॉज 3, 4, 7 की अवहेलना करने तथा आर. पी. पी. एल ऑर्डर 1990 के तहत बिना अनुज्ञा पत्र के भण्डारण करने से उक्त नियमों का उल्लंघन किया जाना पेराकार सरकार ने बताते हुए उक्त जप्त शुदा 90 नॉन एवं डोमेस्टिक गैस सिलेण्डर मय 85.3 किग्रा एल.पी.जी के राजसात करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस में बताया कि विपक्षी संख्या 1 कॉफी समय से मुम्बई में नौकरी करता है वह ग्राम पीठ में किसी प्रकार का व्यवसायिक कार्य नहीं करता है। कोरोना महामारी के कारण घर आया हुआ था। विपक्षी संख्या–2 विपक्षी संख्या 1 के पिता है वह वक्त मौका जांच विपक्षी संख्या–2 की अनुपस्थिति में केवल मौके पर खडा था। प्रकरण के तथ्यों की कोई जानकारी नहीं होना बताया। विपक्षी संख्या–2 रिलायंस एल.पी.जी गैस का वितरण करने का कार्य करता था जिससे आम जनता में तथा ग्राम पीठ एवं आस–पास के गांवों में अच्छी पहचान होकर गैस वाले के नाम से पहचानते थे। वक्त जांच केन्द्र सरकार की उज्जवला गैस के नाम से व्यक्तियों को मुफ्त में अलग–अलग कम्पनी के गैस सिलेन्डर का कनेक्शन दिया जाकर वितरण किये गये हे। उक्त प्रकरण मे उपभोक्ताओं द्वारा पुराने गैस सिलेण्डरों को भंगार में विपक्षी संख्या–2 को बेच दिया जाना विपक्षीगण के विद्वान अभिभाषक ने बताया। उक्त भंगार में क्रय की गई 85 खाली गैस सिलेण्डर विक्रय करना था, किन्तु कोराना माहमारी के कारण विपक्षी संख्या–2 के गैस सिलेण्डर विक्रय नही कर सका। फलस्वरूप 85 खाली गैस सिलेण्डर विपक्षी के पास पायी गई। विपक्षी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में तथ्य प्रकट किये कि विपक्षी संख्या–2 एल.पी.जी गैस सिलेण्डर वितरण करने का कार्य करता है जिससे भारत गैस कम्पनी के दो भरे हुए सिलेण्डर में एक सिलण्डर श्रीमती सूरज पत्नी शंकर लाल मीणा निवासी जोरावरपुरा एवं एक सेलेण्डर श्री यतिन कुमार पुत्र भंवरलाल जैन का है। उक्त दोनो गैस सिलेण्डर उपभोक्ताओं द्वारा नहीं ले जाने से मौके पर पाये गये। रिलायंस क[illegible] सिलेण्डरों मे से दो सिलेण्डर विपक्षी संख्या–2 के स्वयं के है तथा एक सिलेण्डर उनके [illegible] भगवतीलाल जो मुम्बई में होने के कारण विपक्षी संख्या–2 के यहां छोड [illegible] जिन व्यक्तियों के एवं पी.जी गैस भरे हुए सिलेण्डर पाये गये है उनके द्वारा ताईद में प[illegible]क नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र स्टाम्प पर प्रस्तुत किये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2021.08.16 16:26:00 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी संख्या–2 द्वारा केवल भंगार अनुपयोगी खाली गैस सिलेण्डर विक्रय करने हेतु उपभोक्ताओं द्वारा दिये जाने से 85 गैस सिलेण्डरों का संग्रहण किया गया जिसमें विपक्षी की कोई बदनियति एवं विधि एवं नियमों की अवहेलना नहीं की जाना विपक्षी के विद्वान अभिभाषक ने बताया। जिन 5 गैस सिलेण्डर मोके पर पाये गये वह स्वयं विपक्षी एवं उनके परिवार जन तथा उनमें से 2 गैस सिलेण्डर रिफलिंग के बाद उपभोक्ताओं द्वारा नहीं ले जाने से पाये गये है जिसमें विपक्षी का कोई दोष नहीं है। विपक्षीगण के विद्वान अभिभाषक ने C.L.R.(Raj.)1995 के पृष्ठ संख्या–288 पर माननीय उच्च न्यायालय जयपुर बंच के एस.बी. किमी. रिवि. पिटीशन नं. 86/1992 देधिया ट्रेडर्स बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 30.10.1995 की नजीर प्रस्तुत की जिसके तथ्य इस प्रकार है कि "आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन अपराध सरसों के तेल की जब्ती कलेक्टर प्रवर्तन इस्पेक्टर द्वारा के समक्ष किये गये आवेदन का निर्णय नहीं – अपीली प्राधिकरण ने भी अभिवाक को नहीं माना और केवल जब्ती माल की सूची और मिमों पर विश्वास किया – अभिनिर्धारित जब्ती का ओदश विधि अनुसार रखा जा सकेगा और उसे खारिज किया जाता है"। विपक्षी के विद्वान अभिभाषक ने उक्त तथ्यों एवं माननीय उच्च न्यायालय जयपुर बेंच द्वारा पारित निर्णय अनुरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर जप्त शुदा 90 गैस सिलेण्डर विपक्षी संख्या–2 को वापस लोटाने का अनुरोध किया गया है।

हमारे द्वारा पक्षकार की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली व उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया।

पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या–1 के रिहायशी मकान में जांच दल द्वारा एच.पी. के 2, इण्डेन के 10, भारत पेट्रोलियम के 11, रिलायन्स के 46, देवरसा के 18 एवं बिना ब्राण्ड के 3 गैस सिलेण्डर कुल 90 नॉन एवं डोमेस्टिक एल.पी.जी गैस सिलेण्डर विपक्षीगण द्वारा भण्डारित करना पाया गया। उक्त भण्डारित सिलेण्डरों में अवनि गैस सर्विस सीमलवाडा के रूबरू बजन करने पर 85.3 किग्रा एल.पी.जी गैस सिलेण्डरों में पाई गई। विपक्षी संख्या–2 रिलायन्स गैस एजेन्सी सीमलवाडा का एल.पी.जी गैस सिलेण्डरों का वितरण का कार्य करने के प्रमाण स्वरूप दस्तावेज पेश किये है। दस्तावेज के अवलोकन से रिलायन्स गैस एजेन्सी सीमलवाडा की वैद्यता 31.03.2011 तक की ही पाई गई। विपक्षी संख्या–2 वक्त जांच के दौरान भी एल.पी.जी गैस एजेन्सी के उपभोक्ताओं को गैस सिलेण्डर वितरण का प्रमाणिक दस्तावेज के वर्तमान अवधि का नहीं होने से विपक्षी का कथन अविश्वसनीय है तथा काल्पनिक व बनावटी पाया गया है। विपक्षी ने यह भी बताया कि उज्जवला योजना के तहत पात्र परिवार को निःशुल्क एल.पी.जी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से पुरानी गैस सिलेण्डर उपभोक्ताओं द्वारा भंगार में विक्रय किये जाने से वक्त 90 गैस सिलेण्डर अलग–अलग गैस कम्पनियों के भण्डररित किये गये है किन्तु कोरोना महामारी के चलते विपक्षी द्वारा 90 गैस सिलेण्डरों को भंगारी को विक्रय नहीं कर सका है। विपक्षी के द्वारा भंगार गैस सिलेण्डरों का क्रय कर भण्डारण करने का कोई वैद्य दस्तावेज अथवा सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है। जिससे विपक्षी के कथन काल्पनिक होकर मनगढंत प्रतीत होते है। विपक्षी संख्या–2 एल.पी.जी गैस सिलेण्डर उपभोक्ताओं को वितरण करने का कार्य करने के कथन के प्रमाण में वर्तमान में किसी भी एल.पी.जी गैस एजेन्सी का गैस सिलेण्डरों के वितरण कार्य हेतु कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने से काल्पनिक व मनगढंत तथ्यों को दर्शाता है। जहां तक 5 भरे हुए एल.पी.जी गैस के होने के तथ्यों के प्रमाण स्वरूप घटना के करीब एक माह बाद के पब्लिक नोटरी के सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना विपक्षी की सुनियोजित कृत्य प्रतित होता है। वक्त [illegible] ऐसे कोई तथ्य जांच दल को नहीं बताये है। विपक्षीगण द्वारा उक्त कृत्य एल.पी.जी कंट्रोल ऑर्डर 2000 के क्लॉज 3, 4 व 7 की अवहेलना एवं आर पी.पी.एल. ऑर्डर 1990 के तहत लिये गये अनुज्ञापत्र के एल.पी.जी गैस सिलेण्डरों का भण्डारण नियम विरूद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2021.08.16 15:26:00 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या– 2 द्वारा अनाधिकृत रूप से भण्डारित 90 एल.पी.जी.गैस सिलेण्डर जिसमें 85.3 किग्रा. एल.पी.जी गैस सहित को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर उक्त 90 एल.पी.जी.गैस सिलेण्डर सुपूर्दकर्ता से प्राप्त कर गैस सिलेण्डर नियुक्ता कम्पनी में अमानत के रूप में रसीदन सुपूर्द करें तथा जिसमें से 05 गैस से भरे हुए सिलेण्डर की 85.3 कि.ग्रा. गैस की अधिकतम दर से राशि नियुक्ता कम्पनी से प्राप्त कर अमानत के रूप में कार्यालय में जमा रखी जावें यह आदेश उच्चतर न्यायालय के निर्णय के अध्ययधीन रहेगा। जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर को निर्णय की प्रति पालना हेतु भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 04 .08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जावे।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2021.08.16 15:26:00 IST
Reason: SelfAttested